न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः 81/17

1. लालचन्द पुत्र श्री बंशीधर उम्र 40 वर्ष, जाति यादव निवासी ग्राम जालसू, तहसील आमेर जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र श्री गोविन्द सहाय शर्मा, उम्र 50 वर्ष जाति ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम जालसू, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 23.10.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मुख्यालय जयपुर के आदेश दिनांक 17.06.2016 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय रूप से आदेश दिनांक 04.02.2016 को पारित आदेश जिसकी जानकारी दिनांक 01.06.2016 को होने पर अपीलार्थी द्वारा आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र संख्या 30/16 प्रस्तुत किया जो दिनांक 17.06.2016 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विधान के विरूद्ध खारिज किया गया है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने तामील की अवधारणा मात्र रजिसटर्ड ए.डी की रसीदों के आधार पर की जाकर तामील पर्याप्त मानकर एकपक्षीय आदेश दिनांक 04.02.2016 को पारित कर दिया जबकि कानून नाजीर तामील कुलिन्दा के द्वारा साधारण नोटिस मय नकल के भेजे जाने का प्रावधान आज्ञापक है और जब साधारण तौर पर अर्थात जरिये तामील नही हो पाये तो आदेश 19 ए के तहत रजिस्टर्ड ए.डी से तामील कराये जाने का प्रावधान है तथा रजिस्टर्ड ए.डी. रसीद न्यायालय की पत्रावली पर प्राप्त किये जाने के एन्डयोरर्समेन या लेने से इन्कार के एण्डयोर्समेन के साथ वापिस लौटे तो ही तामील की अवधारणा की जा सकती है अन्यथा नही, हस्तगत प्रकरण में साधारण तौर पर जरिये तामील कुलिन्दा कोई तामील अपीलार्थी को नही हुई, न ही अपीलार्थी का भेजे गये रजिस्टर्ड नोटिस के तामील हुई परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने रजिस्टर्ड नोटिस के आधार पर तामील की अवधारणा मानकर प्रार्थना पत्र आदेश नियम 13 खारिज करने में गंभीर कानूनी तथ्यात्मक भूल कारित की है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2016 सरसरी तौर पर ही अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी अपील में यह भी अंकित किया है कि प्रकरण में प्रार्थना पत्र बाबत शीघ्र सुनवाई का लम्बित था तथा जिस पर

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

बहस होनी थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना पत्र पर बहस न सुनकर आदेश 9 नियम 13 के प्रार्थना पत्र को ही तय करने में कानूनी भूल कारित की जबकि प्रकरण दिनांक 17.06.2016 को शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना पत्र की बहस हेतु नियत था जो कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 16.06.2016 में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि शीघ्र सुनवाई की बहस हेतु दिनांक 17.06.2016 को नियत की गई इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.06.2016 सरसरी तौर पर ही अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र इस आधार पर कि पूर्व में सीमाज्ञान हो चुका है तथा सीमाज्ञान के बाबत कोई आपत्ति पेश नही की, मानकर अपीलाधीन आदेश पारित करने में गंभीर कानूनी व तथ्यात्मक भूल कारित की है जबकि सीमाज्ञान की कोई भी जानकारी अपीलार्थी को नही है, न ही इसके बाबत कोई नोटिस या सूचना अपीलार्थी को नही दी गई, न ही सीमाज्ञान की रिपोर्ट पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर है, ऐसी स्थिति में उक्त आधार पर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र 9 नियम 13 खारिज करने में गंभीर कानूनी व तथ्यात्मक भूल कारित की गयी है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2016 निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ्रा न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.06.2016 को अपास्त फरमाया जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 स्वीकार फरमाया जाकर एकपक्षीय आदेश निर्णय दिनांक 04.02.2016 निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को प्रकरण में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जावे ताकि अपीलार्थी को न्याय प्राप्त हो सके एवं न्यायालय के समक्ष वास्तविक स्थिति आ सके।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुऐ कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त अपील ने मूल प्रकरण से सम्बन्धित पक्षकारों को उक्त प्रस्तुत अपील में पक्षकार नही बनाये जाने के कारण तथा पक्षकारों कुसंयोजन के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अपील डिफेक्टिव व कानूनी रूप से गलत होने के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडन्ट द्वारा मूल प्रार्थना पत्र संख्या 45/15 में जमाबन्दी में दर्ज पड़ौसी काश्तकारों व पटवारी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट सीमाज्ञान के अनुसार अपीलान्ट को पक्षकार बनाया गया था तथा नोटिस तामिल हुये थे जिसमें अपीलान्ट ने जानबुझकर तामिल होने के पश्चात् उक्त प्रकरण की सुनवाई के वक्त अनुपस्थित रहने के कारण न्यायालय द्वारा तीन माह पश्चात् गुणावगुण पर आदेश पारित किया गया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी का वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बरान पर किसी प्रकार का कोई कब्जा अथवा कोई सम्बन्ध व राजस्व रिकार्ड में नाम व हित नही है। उन्होने कथन किया है कि राज्य सरकार द्वारा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा था इसके अनुरूप अपीलान्ट

P.T.O.

संभागीय आयुक्त

द्वारा विधिवत न्यायालय आदेश की पालना में सीमा विवाद के स्थायी हल हेतु पत्थरगढी का कार्य करवाया जा रहा था लेकिन अपीलार्थी ने मनगढन्त व असत्य आधारों पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 प्रस्तुत कर बिना तामिल करवाये तथा बिना सुनवाई का मौका दिये ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 17.06.2016 रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित करवा लिया जो रेस्पोडेन्ट के विधिक हितो पर कुठाराघात किया गया है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल पत्रावली मे अपीलार्थी को साधारण तामिल व जरिये रजिस्टर्ड नोटिस ए0डी0 जारी कने के पश्चात् करीब तीन माह के पश्चात् पत्थरगढी का आदेश पारित किया है, अपीलार्थी जानबुझकर नोटिस की जानकारी होने के बावजूद भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुआ है इस कारण न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड नोटिस द्वारा भेज गई तामील को पूर्ण तामिल मानकर आदेश दिनांक 04.02.2016 पारित किया है, जो विधिनुसार सही है। अतः अपीलार्थी की अपील डिफेक्टिव होने के कारण खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधीवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थी की जरिये रजिस्टर्ड ए.डी नोटिस तामिल होने तथा तामील होने के पश्चात् करीबन चार माह पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 04.02.2016 पारित किया गया तथा कानूनन यदि कोई भी पक्षकार न्यायालय के किसी निर्णय से असंतुष्ट होता है तो इसके लिये उसे निर्णय के विरूद्ध अपर न्यायालयों में अपील करने का कानूनन अधिकार होता है। ऐसी स्थिति में यदि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक मूल आदेश को सीधे ही अपर न्यायालय में चुनौति देकर चाराजाही कर सकता है लेकिन अपीलान्ट तामिल के उपरान्त पहले तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही आये तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 के माध्यम से मूल आदेश को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा गया है जो उचित नही होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2016 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2016 को यथावत रखा जाता है।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 23.10.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर

संभागीय आयुक्त
जयपुर